महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन सूनिश्चित करने के क्रम में मजदूरी के भुगतान में विलंब होने पर क्षतिपूर्ती भुगतान करने संबंधी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अनुसूची - 2 में भारत सरकार द्वारा किये गये गये संशोधन (कार्यालय आदेश सं0 2901 दिनांक 24.09.2013 द्वारा अधिसूचित) के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार - विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु प्रारूप क्षतिपूर्ती भुगतान नियमावली, 2013 तैयार किया गया है जो निम्नवत है। समस्त व्यक्तियों (stakeholders), जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये विभागीय website (www.nrega.nic.in) पर इसे प्रकाशित किया जाता है तथा अनुरोध है कि प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर (दिनांक 23.12.13 तक) अपनी आपत्ति या सुझाव को rlrsec-bih@nic.in अथवा श्री मिथिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को भेजा जाय ।

प्रारूप - क्षतिपूर्ती भुगतान नियमावली, 2013

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार - विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ती भुगतान नियमावली, 2013" होगा ।
2. **लागूकरण एवं क्षेत्राधिकार** - यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से अनुसूची -1 में दिये गये चरणबद्ध कालक्रम में पूरे बिहार राज्य में लागू होंगी ।
3. **परिभाषाएँ** - इन नियमों में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों ।
   i. "अधिनियम" से अभिप्रेत है - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (संशोधन सहित) ।
   ii. राज्य सरकार से अभिप्रेत है - ग्रामीण विकास विभाग, बिहार ।
   iii. धारा से अभिप्रेत है - महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (संशोधन सहित) की धारा ।
   iv. मजदूरी दर से अभिप्रेत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिहार राज्य में अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी दर ।
   v. उन शब्दों में जो प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम अथवा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निदेशों में है ।
4. **उद्देश्य** - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार- विलंब से मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ती नियमावली, 2013 का उद्देश्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए तथा तंत्र के समाधानप्रद रूप से कार्य करने के लिये इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में:-

DRAFT

i. मजदूरी भुगतान हेतु निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत भुगतान नही किये जाने पर विलंब की अवधि के लिये क्षतिपूर्ती भुगतान के दर का निर्धारण करना,

ii. उक्त भुगतान हेतु पारदर्शी क्षतिपूर्ती भुगतान प्रणाली स्थापित करना

iii. एवं अधिनियम की धारा 25 के आलोक में दंड निर्धारण की प्रक्रिया स्थापित करना है ।

5. क्षतिपूर्ती भुगतान के दर का निर्धारण

i. मस्टर राल के बंद होने के तारीख से 15 दिनो के भीतर, मस्टर राल में दर्ज उपस्थिति एवं उसके विरुद्ध किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों के खाता में नही किये जाने की दशा में संबंधित मजदूर मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिये मस्टर के बंद होने के दिन से सोलहवें दिन से परे विलंब के लिये भुगतेय मजदूरी का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के चक्रविधि ब्याज की दर से (जिसकी गणना हर 15 दिन के चक्र पर की जायेगी) के क्षतिपूती भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा ।

ii. क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान में विलंब का भुगतान उसी रिति से किया जायेगा जैसा कि मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिये उपरोक्त कंडिका 5(i) में प्रावधानित है ।

iii. मजदूरी के भुगतान को ससमय सूनिश्चित करने हेतु तथा इस क्रम में विलंब के लिये जवाबदेही के निर्धारण के लिये मजदूरी के निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया के विभिन्न चरणो के अवधि तथा उक्त अवधि अंतर्गत उस चरण को निष्पादित करने की जवाबदेही अनुसूची - 2 में संलग्न विवरणी के अनुसार तय की जाती है ।

iv. भारत सरकार द्वारा विकसित NREGASoft प्रणाली से क्षतिपूर्ती की राशि की गणना, जो मस्टर बंद होने की तिथि तथा खाते में राशि के अंतरण की तिथि पर आधारित होगा, प्राप्त कर के उक्त राशियों का भुगतान संबंधित मजदूरों के खाते में उपरोक्त कंडिका 5(i) में निर्धारित दर एवं कंडिका 5(ii) में निहित समय अंतर्गत करने की जवाबदेही कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी ।

v. क्षतिपूर्ती की राशि का भुगतान राज्य सरकार के संसाधन से किया जायेगा । कार्यक्रम पदाधिकारी अनुसूची- 2 में निर्धारित दायित्वों के आलोक में विलंब से भुगतान हेतु दोषी व्यक्ति/ व्यक्तियों का निर्धारण करेंगें तथा क्षतिपूर्ती की राशि को दोष के अनुपात, जो कि उक्त व्यक्ति द्वारा किये गये विलंब की अवधि पर आधारित होगा, में राशि की वशूली की जायेगी ।

vi. क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान में विलंब का भुगतान कंडिका 5.(ii) के आलोक में मजदूरी के भुगतान के 15 दिनो के अंतर्गत करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी की है । क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान में विलंब का भुगतान ससमय नही करने पर देय अतिरिक्त क्षतिपूर्ती भुगतान की वशूली कार्यक्रम पदाधिकारी से की जायेगी ।

vii. विलंब से भुगतान के मामले, देय क्षतिपूर्ती भुगतान तथा किया गये भुगतान को NREGASoft में दर्ज किया जायेगा तथा श्रम बजट में भी इसका उल्लेख किया जायेगा ।

DRAFT

6. राज्य सरकार सामान्य दिशा-निर्देश जारी कर इस नियमावली के कार्यान्वयन में उत्पन्न हो रहे कठिनाई को दूर कर सकेगी, परन्तु ऐसे दिशा-निर्देश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विपरित कदापि नहीं होंगे ।

7. राज्य सरकार सामान्य दिशा-निर्देश जारी इस नियमावली में किसी भूल को दूर करने के साथ-साथ अन्य आवश्यक प्रावधान लागू कर सकेगी।

8. **निरसन एवं व्यावृत्ति -** इस नियमावली से पूर्व मजदूरी भुगतान में विलंब हेतु क्षतिपूर्ती भुगतान के संबंध में निर्गत आदेश निरसित समझे जायेंगे परन्तु इस नियमावली के प्रभाव में आने के पूर्व मजदूरी भुगतान में विलंब हेतु क्षतिपूर्ती भुगतान के संबंध में सम्यक रूप से किये गये किसी कार्य पर इस निरसन का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रारूप

अनुलग्नक–1

चरणबद्व कालकम

कालकम	जिला का नाम
वित्तीय वर्ष 2013.14 में 01 जनवरी से	गया, पूर्वी चंपारण, प0 चंपारण, गाोपालगंज, नालंदा, बेगुसराय
वित्तीय वर्ष 2013.14 में 01 फरवरी से	पूणिया, रोहतास, भागलपुर, भोजपुर, सिवान, कटिहार, जमुई, कैमूर, सारण, बांका
वित्तीय वर्ष 2013.14 में 01 मार्च से	बक्सर, समस्तीपुर, मुजफफरपुर, पटना, मधेपुरा, शि्वहर, सितामढी, किश्ानगंज, औरंगाबाद, नवादा, लखीसराय
वित्तीय वर्ष 2014.15 में 01 अप्रैल से	सुपौल, सहरसा, मधुबनी, अररिया, अरवल, वैश्ाली, मुंगेर, दरभंगा, खगरिया, जहानाबाद,श्खपुरा

RTI

अनुसूची - 2

मस्टर चक्र में दिवसवार की जाने वाली गतिविधियां में विलंब होने पर किये जाने वाले भुगतान हेतु जवाबदेही का निर्धारण

गतिविधियां/ दिवस	**1-6**	**7-9**	**10-12**	**13-18**	**19**	**20-21**	**दायित्व**	**जवाबदेह व्यक्ति**
योजना पर एक मस्टर चक्र में कार्य करने की अवधि							हाजरी लेना	मेट/ पंचायत रोजगार सेवक
मापी की अवधि							मापी करना	पंचायत तकनीकी सहायक/ कनीय अभियंता
मापी की चेकिंग की अवधि							मापी की चेकिंग करना	कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता
MIS में डाटा की प्रविष्टि करना तथा MIS से wage list generate करना उसे कार्यकारिणी से पारित कराना तथा चेक/ एडवाईस तैयार करना							MIS में डाटा की प्रविष्टि करना, MIS से wage list generate करना उसे कार्यकारिणी से पारित कराना तथा चेक/ एडवाईस तैयार करना	ग्राम पंचायत के मामले में - पंचायत रोजगार सेवक एवं कम्पयुटर आपरेटर तथा अन्य कार्यान्वयन निकाय के मामले में उक्त निकाय के एंट्री के लिये चिन्हित व्यक्ति तथा कागजात के custodian. अन्य कार्यान्वयन निकायों के मामले में wage list सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित किया जायेगा
मजदूरो के बैंक खाता/ पोस्ट आफिस के खाता में मजदूरी की राशि का अंतरन हेतु एडवाईस भेजना							मजदूरो के बैंक खाता/ पोस्ट आफिस के खाता में मजदूरी की राशि का अंतरन हेतु एडवाईस भेजना	पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया/ अन्य कार्यान्वयन निकाय के मामले में चेक हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत सभी व्यक्ति
बैंक/ पोस्ट आफिस द्वारा मजदूरों के खाता में राशि अंतरन तथा भुगतान							बैंक/ पोस्ट आफिस द्वारा मजदूरों के खाता में राशि अंतरन तथा भुगतान	बैंक/ पोस्ट आफिस के प्रभारी

9. नोट:- किसी के द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक विलंब किया गया है तो अन्य को विलंब के लिये तब तक जिम्मेवार नही माना जा सकता है जब तक उसने अपने दायित्व हेतु निर्धारित अवधि से अधिक का समय नही लिया हो । दंड भी तदनुसार हीं अनुपात में होगा ।